कर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... सिकराय ...(दौसा)...

गुलाबदेवी वगैरह

सरकार बनाम .....किशोर वगैरह.....

किस्म मुकदमा .....स्थायी निषेधाज्ञा..... मु० नं० .....190/2012.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.11.20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 26.11.20 को पेश हो।	
26.11.20	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। उभय पक्ष की बहस के बिन्दुओं पर गौर किया गया। वादीगण का कथन रहा कि ख.नं. 923 (3 बिस्वा) गै.मु. चाह के भारिये वैधनामा खातेदार दर्ज व काबिज हैं। अपार्थीगण का तर्क रहा कि ख.नं. 923 गै.मु. चाह विक्रेता के नाम दर्ज रही है लेकिन ~~सभी बहस~~ प्रतिवादीगण भी उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उभय पक्ष के मध्य विवाद ख.नं. 923 की गै.मु. चाह भूमि को लेकर ही है। वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ख.नं. 923 की भूमि के चारों ओर चारदीवारी कर उपयोग में ला रहे हैं। वादीगण पश्चगत भूमि के खातेदार हैं। अतः वाद वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण की भूमि ग्राम बहरावण्डा के ख.नं. 915, 921 व 923 में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ranjeet Singh Godara Date: 2021.01.06 13:41:05 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	

Scanned with CamScanner